

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:-कार्यालय-आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(19)शिक्षा-2/2021 जयपुर, दिनांक 20.07.2021 द्वारा श्रीमती राधिका मीणा, व्याख्याता अर्थशास्त्र, राउमावि. इटावा, कोटा का परीवीक्षाकाल में 30 दिवस से अधिक लिये गये 39 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के क्रम में राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	06.02.2020 से 07.02.2020	02 दिन
	10.02.2020 से 06.03.2020	26 दिन
	11.03.2020 से 21.03.2020	11 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	39 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.06.2021 द्वारा 30 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के मेमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 (संशोधित दिनांक 25.10.2019 एवं 06.01.2020) के प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा परीवीक्षाकाल अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (30+39) 69 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/अवकाश/प्रोबेसन ट्रेनी/18-19

दिनांक:- 02/08/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर